

(प्रपत्र-41)

परियोजना का नाम - मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर-काण्डोई-मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(लम्बाई- 4.00 किमी0)

वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेंट का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रायोजन हेतु 1.6100 है0 आरक्षित एवं सिविल सोयम वन भूमि, वन पंचायत भूमि एवं सिविल भूमि सर्किल दर के अनुसार मूल्य रू0 8,80000.00 प्रति है0 की दर से कुल मूल्य रू0 1416800.00 होता है तथा वार्षिक लीज रेंट शून्य रू0 होता है।

कनिष्ठ अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून

सहायक अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून

राममोज शर्मा
राजस्व विभाग, जिलाधिकारी
क्षेत्र.....

तहसीलदार
विकासनगर विकासनगर।

उप जिलाधिकारी
विकासनगर
उपजिलाधिकारी
विकासनगर

जिलाधिकारी
देहरादून, जिलाधिकारी
देहरादून।

(प्रपत्र-46(c))

परियोजना का नाम - मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर-काण्डोई-मदसू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(लम्बाई- 4.00 किमी0)

दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

सडक मार्ग के दोनो रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून




सहायक अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून


अधिशाली अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून

(प्रपत्र-50)

परियोजना का नाम - मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर-काण्डोई-मदसू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(लम्बाई- 4.00 किमी0)

एन0पी0वी0 की धनराशि का आकलन

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 एवं 09.05.2008 के अनुसार)

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र 0.4050 है0 माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास के अन्तर्गत आता है।

उपरोक्त अनुसार उक्त वन क्षेत्र का घनत्व 0.1 से 0.2 प्रतिशत है जिस हेतु एन0पी0वी0 की प्रति है0 दर रू0 7.30 लाख मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि का आगणन रू0 175300/ लाख मात्र किया गया है तथा वार्षिक लीज रेंट 00.00 प्रतिशत की दर से 00.00 रू0 होता है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून

सहायक अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून

अधिशायी अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून

उप-प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी।

म.स. म.स.
वन क्षेत्र अधिकारी
लांघा रज, लांघा

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी वन प्रभाग,
कालसी।

169

(प्रपत्र-50(a))

परियोजना का नाम - मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर-काण्डोई-मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(लम्बाई- 4.00 किमी0)

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रायोजन हेतु है0 आरक्षित वन भूमि एवं सिविल भूमि सर्किल दर के अनुसार मूल्य रू0 880000.00 प्रति है0 की दर से कुल मूल्य रू0 1416800.00 होता है तथा वार्षिक लीज रेंट शून्य रू0 होता है।

कनिष्ठ अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून

सहायक अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून

अधिशायी अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून

उप-प्रभाग उप-प्रभाग वनाधिकारी
कालसी सहस्रपुर उप वन प्रभाग,
कालसी।

उप-प्रभाग वनाधिकारी
लांघा रेंज, लांघा

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी वन प्रभाग,
कालसी।

राममोज शर्मा
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र.....

तहसीलदार
विकासनगर
विकासनगर।

उप जिलाधिकारी
विकासनगर
उपजिलाधिकारी
विकासनगर

जिलाधिकारी
देहरादून
जिलाधिकारी
देहरादून।

परियोजना का नाम - मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर-काण्डोई-मदसू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(लम्बाई- 4.00 किमी0)

एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढी हुई धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून




सहायक अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून


अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून